स.19011/28/2023-केहिप्रस/अल्प. ग. प्रशि./ 3466-4166

दूरभाष: 011-23793521
फैक्स: 011-23793521

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 07.12.2022.

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी एवं सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा से संबद्ध सभी अधिकारी

विषय:- **संघ सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/निकाय/लोक उद्यम /संगठन आदि के प्रबंधक (राजभाषा), संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिंदी अधिकारियों/ वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन वर्ष -2023**

महोदय/महोदया,

राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में राजभाषा अधिकारी अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें, इसको दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रशिक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के हिंदी अधिकारियों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभिमुखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब तक इस संस्थान द्वारा कुल 63 (तिरसठ) अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

यह देखा गया है कि उक्त कार्यक्रम के लिए नामित अनेक अधिकारी प्रशासनिक, व्यक्तिगत या आकस्मिक कारणों से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में यथा समय शामिल नहीं हो पाते. अभी भी विभिन्न कार्यालयों में ऐसे अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है, जिन्हें अभी तक किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान दो अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। अत: आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत राजभाषा अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें।

प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण :

क्र.स.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधि. की पात्रता/पदनाम	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है।
1.	अभिमुखी कार्यक्रम	राजभाषा हिंदी से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान करना एवं राजभाषा संबंधी दायित्वों से परिचित कराना तथा राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन	20.03.2023 से 24.03.2023 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े संयुक्त/उप/ सहायक निदेशक (रा.भा), हिंदी अधिकारी, उप/ सहा.प्रबंधक (रा.भा.)/ वरिष्ठ/ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग अधीनस्थ कार्यालय/ बैंक/उपक्रम/निगम/ निकाय/बीमा कंपनी/ लोक-उद्यम आदि।
2.	-वही-	-वही-	06.11.2023 से 10.11.2023 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	-वही-	-वही-

नामांकन की प्रक्रिया एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों से संबंधित विवरण अनुलग्नक -I में दिए गए प्रपत्र में भरकर यथा समय इस कार्यालय को ई-मेल या डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण के संचालन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि भेजी जाएगी।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।

विशेष टिप्पणी

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार जो यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा, संबंधित कार्यालय/संगठन के द्वारा उसका वहन किया जाएगा, न कि इस संस्थान द्वारा।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना असंभव हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर नामित प्रशिक्षार्थियों को कार्यमुक्त करते हुए इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र वितरित किया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य किसी भी अपेक्षित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक-II देखें, जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से संबद्ध संपर्क सूत्र का विवरण आदि दिया गया है।

भवदीय,

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
प्रभारी निदेशक

पृष्ठांकन सं.- 19011/28/2023-केहिप्रसं/अल्प. ग. प्रशि./ 3466-4166 दिनांक: 07.12.2022.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
4. संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. उप निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
9. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली
10. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के पोर्टल/ वेबसाइट पर इस पत्र को उपलब्ध कराने के निदेश के साथ।
11. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
12. उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद एवं बेंगलूरु।

भवदीय,

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
प्रभारी निदेशक

अनुलग्नक –I

प्रशिक्षण संबंधी प्रपत्र

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती स्थल	शैक्षिक/तकनीकी योग्यता	हिंदी का ज्ञान	मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर : ....
नाम एवं पदनाम : ....
कार्यालय का संपूर्ण पता : ....
....
....

दूरभाष सं. : ....
फ़ैक्स सं. : ....
ई-मेल आई डी : ....

अनुलग्नक – II

प्रशिक्षण संबंधी संपर्क-सूत्र

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी. जी. ओ. परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 दूरभाष: - 011- 24361852 फ़ैक्स:- 011- 24361852 ई-मेल: dirchti-dol@nic.in	उप निदेशक, अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011 दूरभाष: - 011- 23793521 फ़ैक्स:- 011- 23793521 ई-मेल: DD-WS-chti-dol@gov.in